संख्या–423 /XVI/07/7(43) 2007

प्रेषक,

अर्जुन सिंह,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रेशम निदेशालय उत्तराखण्ड,
प्रेमनगर–देहरादून।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग:–2

देहरादून: दिनांक 23 अगस्त ,2007

विषयः–वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष की योजनाओं के कियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–1600/रेशम/तक0अनु0/बजट/2007–08 दिनांक 31 जुलाई, 2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष की विभिन्न योजनाओं के कियान्वयन हेतु प्राविधानित धनराशि रू0–37753 हजार के सापेक्ष रू0–23162 हजार (रूपये दो करोड इक्तीस लाख बासठ हजार मात्र) की धनराशि संलग्न विवरणानुसार व्यय हेतु आपके निर्वतन/आवंटन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1– इस धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यो के लिये ही किया जायेगा।

2– उक्त व्यय करते समय वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–599/XXVII (1)/2007, दिनांक–12 जुलाई, 2007 (छाया प्रति संलग्न) में दिये गये दिशा–निर्देशों तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3– किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार कय प्रकिया (स्टोर्स पर्चेस रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिष्पादन नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 आय व्यय सम्बन्धी नियम शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4– अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग त्रैमास के आधार पर शासन को उपलब्ध करायी जाय, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लों निर्धारित किए जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।

5– निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक के आगणन/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक तथा वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ आगणनों पर सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय।

6– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

7– व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है, साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।

8– व्यय की सूचना प्रपत्र बी0एम0–13 पर प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय तथा धनराशि का आहरण/व्यय एकमुश्त न करके आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

..2/

9— लघु निर्माण कार्य व अन्य निर्माण कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग की वर्तमान प्रचलित दरों पर ही आगणन गठित करके कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

10— जिन उपमानक मदों में चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु आय–व्ययक प्राविधान, लेखानुदान द्वारा अवमुक्त धनराशि से कम हुआ है, उन उपमानक मदों के अन्तर्गत आय–व्ययक प्राविधान की सीमा तक ही व्यय किया जायेगा। यदि सम्बन्धित उपमानक मद में लेखानुदान द्वारा अवमुक्त धनराशि का सम्पूर्ण व्यय किया जा चुका हो, तो उसके समायोजन हेतु अन्य सुसंगत उपमानक मदों की बचतों से पुनर्विनियोग का प्रस्ताव यथासमय उपलब्ध कराया जाय, तथा यदि व्यय नहीं किया गया है, तो आय–व्ययक प्राविधान एवं लेखानुदान के अन्तर की धनराशि प्राथमिकता से राजकोष में जमा कराते हुए महालेखाकार कार्यालय, उत्तराखण्ड एवं शासन को भी अवगत कराया जाय।

11— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–आयोजनेत्तर 119–बागवानी और सब्जियों की फसलें –07–शहतूत की खेती एवं रेशम विकास–0701–अधिष्ठान के अन्तर्गत संलग्न विवरण में अंकित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

13— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–144(N.P.)/वित्त अनु0–4/2007, दिनांक 22 अगस्त, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।

संख्या–423 /XVI/07/7(43) 2007 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
2— वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
3— समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4— बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
5— राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
6— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
7— समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8— गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(सुनील श्री पांथरी)
उप सचिव।

शासनादेश संख्या 423 /XVI/07/7(43)2007 दिनांक 23 अगस्त 2007 का संलग्नक
वित्तीय वर्ष 2007–08 में अनुदान संख्या 29 के आयोजनेत्तर पक्ष की योजनाओं हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृत की जाने वाली धनराशि का विवरण।

अनुदान संख्या–29 (धनराशि हजार रुपये में)

लेखाशीर्षक / योजना / मद –2401–फसल कृषि कर्म–आयोजनेत्तर –119–बागवानी एवं सब्जियों की फसलें,(क्रमशः) –07–शहतूत की खेती एवं रेशम विकास (क्रमशः) –0701–अधिष्ठान	वर्ष 2007–08 हेतु प्राविधानित धनराशि	लेखानुदान के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि	स्वीकृत की जा रही कुल धनराशि
01 वेतन	13000	4725	8275
02 मजदूरी	1000	333	667
03 महगाई भत्ता	7995	2504	5491
04 यात्रा भत्ता	550	200	350
05 स्थानान्तरण भत्ता	50	33	17
06 अन्य भत्ते	1430	578	852
07 मानदेय	75	33	42
08 कार्यालय व्यय	250	83	167
09 विद्युत देय	699	233	466
10 जलकर / जलप्रभार	150	50	100
11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	150	67	83
12 कार्यालय फर्नीचर / उपकरण	200	33	167
13 टेलीफोन व्यय	200	83	117
15 गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	450	133	317
16 व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	500	200	300
17 किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	250	83	167
19 विज्ञापन, बिक्री एवं विख्यापन व्यय	75	67	8
22 आतिथ्य व्यय	20	20	0
24 वृहद निर्माण	1500	0	--
25 लघु निर्माण	500	200	300
26 मशीने सज्जा एवं उपकरण और संयत्र	300	100	200
27 चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	200	267	0
29 अनुरक्षण	250	167	83
31 सामग्री एवं सम्पूर्ति	999	333	666
42 अन्य व्यय	100	50	50
44 प्रशिक्षण व्यय	60	20	40
45 अवकाश यात्रा व्यय	100	67	33
46 कम्प्यूटर हार्डवेयर / साफ्टवेयर का क्रय	100	67	33
47 कम्प्यूटर अनुरक्षण व तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	100	67	33
48 मंहगाई वेतन	6500	2362	4138
योग	**37753**	**13158**	**23162**

(रुपये दो करोड़ इक्तीस लाख बासठ हजार मात्र)

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव,